राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

क्रमांकः प.8(105)RSSB/प.आ./लि.ग्रे–II/क.स./संयुक्त भर्ती/2024/ दिनांकः

विज्ञप्ति

बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024, विज्ञापन संख्या 06/2024 क्रमांक 2145 दिनांक 13.02.2024 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी। यह परीक्षा दिनांक 11.08.2024 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के **फेज द्वितीय–कम्प्यूटर आधारित "हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण" का आयोजन दिनांक 21, 22, 23, 24 जनवरी 2025 को निम्नलिखित तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जावेगाः–**

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक	पारी (प्रतिदिन)	परीक्षा का समय
1.	लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 फेज-II (टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण)	21.01.2025 (मंगलवार) से 24.01.2025 (शुक्रवार)	I	प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक
			II	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 05.00 बजे तक

अभ्यर्थी जो बोर्ड द्वारा दिनांक 25.11.2024 को लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के घोषित परिणाम में परीक्षा भाग–II (**टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण**) हेतु सूचीबद्ध किये गये है, उक्त परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण परीक्षा के अन्तर्गत चार भाग होंगे, जिनका वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

प्रश्न पत्र सं.	विषय	समय	अंक	अर्हता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक
1	हिन्दी टंकण गति परीक्षण	10 मिनट	25	9
2	अंग्रजी टंकण गति परीक्षण	10 मिनट	25	9
3	हिन्दी दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25	9
4	अंग्रजी दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25	9

अर्हता हेतु चारों भागों में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक को प्राप्त करना अनिवार्य है।

टंकण गति परीक्षण दो भागों में ली जायेगी एवं प्रत्येक भाग हेतु 10–10 मिनट का समय दिया जायेगा। प्रथम भाग में हिन्दी भाषा की टंकण गति परीक्षा तथा द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की टंकण गति परीक्षा ली जायेगी। दक्षता परीक्षण दो भागों में ली जायेगी एवं प्रत्येक भाग हेतु 10–10 मिनट का समय दिया जायेगा। प्रथम भाग में हिन्दी भाषा की दक्षता परीक्षण परीक्षा तथा द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की दक्षता परीक्षण परीक्षा ली जायेगी।

परीक्षार्थी को ई–प्रवेश पत्र हेतु निर्देश :–

1. बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे। उक्त परीक्षाओं के ई–प्रवेश पत्र **अभ्यर्थी दिनांक 17.01.2025 को सायं 5.00 बजे से "प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र" स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें।** अभ्यर्थी अपने **प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र' वेबसाइट** https://recruitment.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते है।
   डाउनलोड करने के स्टेप निम्न प्रकार है :–
   - I. Enter Url https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard
   - II. Click on Get Admit Card Option.
   - III. Click on Get Admit Card Option of Recruitment to download the admit card.
   - IV. Enter Your Application number and DOB

परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश :–

2. **टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 12.12.2024 एवं Mock Test हेतु दिशा निर्देश क्रमांक 665 दिनांक 08.01.2025 को बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दिये गये है।**

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.01.17 15:39:48 IST
Reason: Approved

3. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

4. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।

5. **अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जावेगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें।**

6. **परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, मतदाता पहचान–पत्र मे से कोई एक से मिलान किया जावेगा।**

   उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5cm×2.5cm साईज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो(जो Merge, Morphed **एवं** Tampered **किया हुआ न हो तथा एक माह से अधिक पुराना न हो**) **एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।**

7. परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी **(Frisking Agency/Biomatrics Device)** से Face Recognition हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जाँच के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।

8. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।

<u>परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेसकोड :–</u>

9. ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट पर जारी विस्तृत विज्ञप्ति अवश्य देखें। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

   I. टाई, मफलर, जरकिन, शॉल आदि पहन कर नहीं आवें। परीक्षार्थी कोट/जैकेट (जिसमें कोई मेटल का बटन या चेन या कोई भी मेटल की चीज लगी हुई नही हो), पूरी आस्तीन की शर्ट, पूरी आस्तीन का कुर्ता, पायजामा, बिना जेब वाली गर्म जर्सी/स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों, पहनकर आ सकते है। शर्ट में किसी तरह का बैज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाये जाने की संभावना हो, पहनकर नहीं आवें। महिलायें अपने बालों में रबर बैण्ड या साधारण किस्म की हेयरपिन लगा कर आ सकती हैं।

   II. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी के समय संदेह की स्थिति में अपना कोट, जैकेट, स्वेटर, जर्सी उतार कर/सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी।

   III. परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, सलवार सूट, शर्ट, ब्लाउज, चुन्नी आदि पहन कर आने की अनुमति होगी परन्तु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।

   IV. परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आवेंगे।

   V. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड [illegible], हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल [illegible] होंगे। हवाई चप्पल(स्लीपर), सैण्डल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने (Ankle) तक के [illegible] आने की अनुमति होगी। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नही होगी।

Signature valid
Digitally signed by B[illegible] Chand Badhal
Designation: [illegible]tary
Date: 2025.01.1[illegible]5:39:48 IST
Reason: Approved

VI. यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड़ में शामिल होने के संबंध में संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुऐ अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

VII. गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.27(14) गृह–1/2008 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाये किन्तु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर दो घन्टा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण (Suspected Device) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाये।

उक्त ड्रेस कोड़ में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जावेगा।

परीक्षा में नकल/अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून :–

10. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनो का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) मे संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्व, **राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनो की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रूपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित** (Debar) **भी किया जावेगा।**

परीक्षार्थी हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

11. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है

12. **परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।**

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in एवं www.rssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(डॉ. बी. सी. बधाल)
सचिव

क्रमांकः प.8(105)RSSB/प.आ./लि.ग्रे–II/क.स./संयुक्त भर्ती/2024/ दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ RSSB को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करायें।
2. रक्षित पत्रावली।

सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.01.17 15:39:48 IST
Reason: Approved